



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 423 राँची, शुक्रवार, 2 श्रावण, 1948 (श०)
24 जुलाई, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

14 जुलाई, 2026

संख्या-3/आरोप(कोर्ट केस)-15-15/2024का--37556 (HRMS)--श्रीमती अंजना दास, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-47/20), तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, गढ़वा के विरुद्ध नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-4720, दिनांक 23.08.2016 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है। उक्त आरोप पत्र में श्रीमती अंजना दास के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया:-

आरोप सं0-1- श्रीमती अंजना दास द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन कार्यपालक पदाधिकारी, गढ़वा नगर परिषद् के पद पर वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के पदस्थापन अवधि में निम्नांकित अनियमितता बरती गई है-

- नगर परिषद् क्षेत्र में एल0ई0डी0 लाईट के अधिष्ठापन में अनियमितता,
- नगर परिषद् क्षेत्र में डस्टबीन की आपूर्ति में अनियमितता,
- सोनपुरवा बस स्टैंड, गढ़वा के जिर्णोद्धार कार्य में अनियमितता।

आरोप सं0-2- श्रीमती दास के उक्त कृत्य से विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमिततायें हुई हैं तथा राजकोष को वित्तीय क्षति पहुँची है।

आरोप सं0-3- श्रीमती दास द्वारा उक्त कार्य कर, पूर्ण शीलनिष्ठा, कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव तथा Unbecoming आचरण प्रदर्शित किया गया है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1)(i)(ii) एवं (iii) के प्रतिकूल है।

2. श्रीमती दास के विरुद्ध प्रतिवेदित उपर्युक्त आरोप, इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथा नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभाग स्तर पर श्रीमती दास के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर संकल्प सं0-6925(HRMS), दिनांक 17.07.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-19, दिनांक 11.01.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जाँच प्रतिवेदन में श्रीमती दास के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोप प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया।

4. श्रीमती अंजना दास के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की विभाग स्तर पर समीक्षा की गयी तथा समीक्षा में अंकित बिन्दुओं (बिंदु 1 से 6) पर विभागीय पत्रांक- 3472, दिनांक- 03.06.2022 के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा मंतव्य की मांग की गई। उक्त के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1233 दिनांक- 29.03.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि इस संदर्भ में विभागीय पत्रांक- 5013, दिनांक- 04.10.2019 को विभागीय मंतव्य माने जाने का निर्णय लिया गया है।

5. समीक्षा बिन्दुओं के आलोक में विभागीय जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए तथा आरोप संख्या-1 एवं 3 को प्रमाणित मानते हुए विभागीय पत्रांक- 3078, दिनांक- 29.05.2023 द्वारा असहमति के बिन्दुओं को अंकित करते हुए श्रीमती दास के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) लघु दण्ड अन्तर्गत दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने के दण्ड पर उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी।

उक्त के क्रम में विभागीय पत्रांक- 4661 दिनांक- 16.08.2023 एवं पत्रांक- 7101 दिनांक- 09.12.2023 के द्वारा उन्हें स्मारित भी कराया गया, परन्तु श्रीमती दास के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जबाब समर्पित नहीं किया गया।

6. श्रीमती दास के द्वारा प्रस्तावित दण्ड के बिन्दु पर उनसे द्वितीय कारण पृच्छा पूछे जाने से संबंधित विभागीय पत्रांक- 3078, दिनांक- 29.05.2023 को निरस्त करने एवं परिणामी वित्तीय लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान करने हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में WP(S) No- 5025/2023 दायर किया गया है।

7. विभागीय पत्रांक- 3472, दिनांक- 03.06.2022 के द्वारा समीक्षा के बिन्दुओं पर पूर्व में वांछित मंतव्य के क्रम में स्मारित कराते हुए पुनः विभागीय पत्रांक- 3519 दिनांक- 22.05.2024 के माध्यम से समीक्षा के

बिन्दुओं (बिंदु 1 से 6) पर नगर विकास एवं आवास विभाग से मंतव्य की मांग की गई।
8. उक्त के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक- 2041, दिनांक- 28.05.2024 के द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसके द्वारा विभागीय समीक्षा बिन्दु-1, 2 एवं 3 के संबंध में प्रतिवेदित है कि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पूर्व में इस संबंध में समीक्षा की गई है तथा पत्रांक- 5013 दिनांक- 04.10.2019 से आरोप को सम्पुष्ट किया गया है।

विभागीय समीक्षा बिन्दु-4 के संबंध में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-55 की उपधारा-9 एवं विभागीय संकल्प संख्या- 165, दिनांक- 11.01.2016 में उल्लेखित प्रावधानों को इंगित करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि नगरपालिकाओं अंतर्गत कार्य योजना तैयार करने, सम्पादन में कोई अनियमितता न हो, इसके अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का प्राथमिक प्रशासनिक दायित्व कार्यपालक पदाधिकारी का ही है। उक्त के आलोक में आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं माना गया है।

उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में विभागीय समीक्षा बिन्दु-5 से सहमति व्यक्त की गई है तथा समीक्षात्मक बिन्दु-6 के संबंध में अंकित किया गया है कि योजना तैयार करने एवं निविदा निष्पादन में नियमों के पालन का प्राथमिक प्रशासनिक दायित्व कार्यपालक पदाधिकारी का ही है।
9. समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या 25831(HRMS), दिनांक-24.06.2024 के द्वारा श्रीमती अंजना दास, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-47/20), तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, गढ़वा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) लघु दण्ड अन्तर्गत दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया।
10. विभागीय संकल्प संख्या- 25831(HRMS), दिनांक- 24.06.2024 के द्वारा अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्रीमती दास के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में WP(S) No- 5354 /2024 अंजना दास बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया।

11. WP(S) No- 5354 /2024 अंजना दास बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक-20.04.2026 को पारित न्यायादेश के द्वारा विभागीय संकल्प संख्या-25831(HRMS), दिनांक-24.06.2024 के द्वारा अधिरोपित दण्ड को निरस्त कर दिया गया तथा अंकित है कि यदि विभाग को सलाह दिया जाता है तो उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है। उक्त न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

"-----4. Having heard learned counsel for the parties and after going through the documents available on record and the impugned order; so far as the first contention of nonexamination of oral witness in order to prove the charge does not make much difference in this case; inasmuch as, the enquiry officer had exonerated the petitioner from the charges levelled against him. Therefore, this Court is not inclined to give any finding for non-examination of oral witness.

5. So far as second issue is concerned that two stage notice should have been given to the petitioner; admittedly only in one notice i.e., dated 29th May,

2023 the disciplinary authority has issued a second show-cause notice and in the said second show-cause itself he has given the reasons why he is differing with the opinion of enquiry officer; however, the said procedure is not with the settled proposition of law as laid down in the case of Punjab National Bank and others Vs. Kunj Behari Misra², For brevity, para-19 is extracted hereinbelow:

19. The result of the aforesaid discussion would be that the principles of natural justice have to be read into Regulation 7(2). As a result thereof, whenever the disciplinary authority disagrees with the enquiry authority on any article of charge, then before it records its own findings on such charge, it must record its tentative reasons for such disagreement and give to the delinquent officer an opportunity to represent before it records its findings. The report of the enquiry officer containing its findings will have to be conveyed and the delinquent officer will have an opportunity to persuade the disciplinary authority to accept the favourable conclusion of the enquiry officer. The principles of natural justice, as we have already observed, require the authority which has to take a final decision and can impose a penalty, to give an opportunity to the officer charged of misconduct to file a representation before the disciplinary authority records its findings on the charges framed against the officer.

And also in the case of Deputy General Manager (Appellate Authority) and others³. For brevity, para-26 of is also extracted herein below:

26. It is well settled that where the enquiry officer is not the disciplinary authority, on receiving the report of enquiry, the disciplinary authority may or may not agree with the findings recorded by the former, in case of disagreement, the disciplinary authority has to record the reasons for disagreement and after affording an opportunity of hearing to the delinquent may record his own findings if the evidence available on record be sufficient for such exercise or else to remit the same to the enquiry officer for further enquiry.

6. Accordingly, the instant writ application is allowed and the impugned order dated 24.06.2024 is quashed and set aside. However, the respondents would be at liberty to initiate de novo enquiry, if so advised."

12. WP(S) No- 5354 /2024 में माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक-20.04.2026 को पारित न्यायादेश के आधार पर WP(S) No- 5025/2023 को समाप्त कर दिया गया है।

13. अतः समीक्षोपरांत, WP(S) No- 5354 /2024 अंजना दास बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक-20.04.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय संकल्प

संख्या-25831(HRMS), दिनांक-24.06.2024 के द्वारा श्रीमती अंजना दास, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-47/20), तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, गढ़वा के विरुद्ध अधिरोपित 'झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) लघु दण्ड अन्तर्गत दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड' को विलोपित किया जाता है।

14. प्रस्ताव पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती अंजना दास, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ANJANA DAS 20060400034	समीक्षोपरांत, WP(S) No.-5354/2024 अंजना दास बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक-20.04.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-25831(HRMS), दिनांक-24.06.2024 के द्वारा श्रीमती अंजना दास, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-47/20), तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, गढ़वा के विरुद्ध अधिरोपित 'झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) लघु दण्ड अन्तर्गत दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड' को विलोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
